**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

**लोक सभा**

तारांकित प्रश्न संख्या: 134

उत्तर देने की तारीख: 01.07.2019

**उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में भर्ती**

***134. श्री खगेन मुर्मूः**

**डॉ. सुकान्त मजूमदारः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शिक्षण संस्थाओं (एचईआई) में भर्ती के संबंध में अनियमितताओं के मामले रिपोर्ट किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर संस्था-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में केन्द्रीय प्रवेश प्रणाली की भांति ही केन्द्रीयकृत भर्ती प्रणाली लागू करने की अविलम्ब आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में भर्ती में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')**

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

***

**'उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में भर्ती' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री खगेन मुर्मू, डॉ॰ सुकान्त मजूमदार द्वारा दिनांक 01.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।**

(क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा निम्नानुसार है:-

| क्रम सं. | संस्थान | ब्यौरा |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. एच.एस.गौड़ विश्वविद्यालय | केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमिताओं की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सीबीआई ने दिनांक 21.05.2014 को डॉ. एच.एस गौड़ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के विरूद्ध मामला दर्ज किया है। |
| 2. | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय | जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शिकायतों के संबंध में दिनांक 12.01.2018 को विजीटोरियल जांच समिति/फैक्ट फाइंडिंग समिति गठित की गई थी। इस रिपोर्ट में किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। माननीय विजिटर द्वारा इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। |
| 3. | राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) भोपाल | शासी बोर्ड (बीओजी) के फैक्ट फाइंडिंग उप-समिति (एफएफएससी) नियुक्त की गई है। इसके आधार पर तीन संकाय सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। |

(ग) और (घ): केन्द्रिकृत नियुक्ति प्रणाली की कोई आवयश्कता नहीं है।

विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की अपनी भर्ती प्रक्रिया है। इन्हें संसद के अधिनियम द्वारा अपने शैक्षणिक कार्यकलापों में पूर्ण स्वायत्ता है। तथापि वे इसे अपनी विनियम, संविधियों एवं अध्यादेश जो विभिन्न अधिनियमों के तहत लागू हुए हैं, के तहत ही उपयोग कर सकते हैं. जबभी कोई शिकायत आती है, मंत्रालय जाँचकर समुचित कार्रवाई करती है ।

*****